| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज<br>अपील संख्या 170/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/351)<br>बअनवान रूपाराम व अन्य बनाम मागाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील में जारी हुए |
|---|---|---|

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

रूपाराम व अन्य

बनाम

मागाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री उम्मेदसिंह बावरलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 19
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 18

## आदेश

दिनांक 20 मई 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2018 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम मागाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 39.14 बीघा ग्राम खिरजा भोजा तहसील शेरगढ के अपीलार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की भूमि होने से वादग्रस्त आराजीयात के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट द्वारा विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान हस्तांतरण या निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज<br>अपील संख्या 170/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/351)<br>बअनवान रूपाराम व अन्य बनाम मागाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

सम्भव नहीं है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2021 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या 19 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पो. मौकेपर काबिज काश्त है। कानूनन मौके पर काबिज सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना केस साबित नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि ग्राम खिरजा भोजां तहसील शेरगढ के खसरा नं. 39 रकबा 14.15 बीघा पुश्तैनी भूमि होकर सहखातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स की ओर से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। मूल वाद के



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज<br>अपील संख्या 170/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/351)<br>बअनवान रूपाराम व अन्य बनाम मागाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स द्वारा विवादग्रस्त भूमि के विशेष भू–भाग का बेचान हस्तांतरण किया जाता है अथवा मौके पर विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य किया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2021 को अपास्त किया जाता है एवं उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम खिरजा भोजां तहसील शेरगढ के खसरा नं. 39 रकबा 14.15 बीघा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर